



**Government Pataleshwar College Masturi**  
**District- Bilaspur (C.G) -495551**

**Institution has disabled-friendly, barrier free environment**



**बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)**  
**BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)**

क्रमांक / 0087 / परीक्षा-गोपनीय / 2018

बिलासपुर, दिनांक 27 / 02 / 2018

**--:केन्द्राध्यक्षों को निर्देश (संशोधित):--**  
**विश्वविद्यालयीन मुख्य परीक्षा-2018**

सत्र 2017-18 की मुख्य परीक्षा दिनांक 07.03.2018 से विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक/0041/परीक्षा-गोपनीय/2018 बिलासपुर दिनांक 06.02.2018 द्वारा अधिसूचित परीक्षा केन्द्रों में अधिसूचित अंतिम समय-सारणी अनुसार तीन पाली में सम्पन्न होगी। परीक्षा केन्द्रों में विश्वविद्यालयीन परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता बनाये रखते हुए परीक्षार्थे निर्विघ्न रूप से संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक/0075/परीक्षा-गोपनीय/2018 बिलासपुर दिनांक 26.02.2018 द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों में वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं-

**01. वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष**

संबंधित परीक्षा केन्द्र में कार्यरत प्राचार्य अथवा प्राचार्य द्वारा अनुशंसित एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष होंगे। वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष को पारिश्रमिक रूपये 200/- प्रति परीक्षा दिवस की दर से देय होगा।

**02. केन्द्राध्यक्ष**

संबंधित परीक्षा केन्द्र में प्राचार्य द्वारा अनुशंसित एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक केन्द्राध्यक्ष होंगे। केन्द्राध्यक्ष को पारिश्रमिक रूपये 125/- प्रति पाली की दर से देय होगा। जिस परीक्षा केन्द्र में वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष एवं केन्द्राध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन केवल एक अधिकारी (वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष-सह-केन्द्राध्यक्ष) द्वारा किया जावेगा, उसे पारिश्रमिक रूपये 250/- प्रति परीक्षा दिवस की दर से देय होगा।

**03. सहायक केन्द्राध्यक्ष**

परीक्षा केन्द्र में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 300 तक होने पर केन्द्राध्यक्ष को परीक्षा कार्य में सहयोग करने के लिए संबंधित परीक्षा केन्द्र के वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष द्वारा अनुशंसित एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा एक सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा। परीक्षार्थियों की संख्या 300 से अधिक होने पर प्रति 300 परीक्षार्थियों की संख्या पर वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष द्वारा अनुशंसित एवं/अथवा विश्वविद्यालय द्वारा एक अतिरिक्त सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किये जा सकेंगे। सहायक केन्द्राध्यक्ष को पारिश्रमिक रूपये 100/- प्रति पाली की दर से देय होगा।

**04. वीक्षक**

परीक्षा केन्द्र में न्यूनतम 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक/निरीक्षक की नियुक्ति अस्थायी रूप से पाली केन्द्राध्यक्ष के द्वारा की जावेगी, परंतु एक कक्ष में कम से कम दो वीक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। वीक्षक को पारिश्रमिक रु. 75/- प्रति पाली की दर से देय होगा। स्थायी वीक्षक के रूप में नियुक्ति मान्य नहीं होगी। वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष के आदेश से एक व्यक्ति एक दिन में एक से अधिक पालियों में वीक्षक/निरीक्षक का कार्य कर सकेगा। आवश्यकता होने पर अन्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति भी वीक्षक के रूप में की जा सकती है। इसके अलावा प्राचार्य/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष अपने महाविद्यालय के प्रयोगशाला शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों, अन्य योग्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं।

**05. परीक्षा केन्द्र में तिथि एवं पालीवार परीक्षार्थियों की संख्या-**

परीक्षा समय सारणी के अनुसार परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या निम्न प्रपत्र में तैयार कर लें-

परीक्षा की तिथि	कक्षा/परीक्षा का नाम	परीक्षार्थियों की संख्या		
		प्रथम पाली	द्वितीय पाली	तृतीय पाली
1	2	3	4	5

उक्त जानकारी की एक प्रति विश्वविद्यालय को भेजते हुए एक प्रति निकटस्थ आरक्षी केन्द्रों को उलब्ध कराते हुए यह अनुरोध करें कि प्रत्येक परीक्षा के दिन समुचित रूप से कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करें।

**06. परीक्षा केन्द्र में उत्तरपुस्तिकाओं का संधारण -**

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध कराई गई उत्तरपुस्तिकाओं का निम्नानुसार प्रारूप में एक पंजी में संधारण करें -

क्र.	परीक्षा की तिथि	मुख्य उत्तरपुस्तिका		शेष उत्तरपुस्तिका	
		उपयोग में लाई गई उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या	शेष उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या	उपयोग में लाई गई उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या	शेष उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या

**07. परीक्षा केन्द्र में गोपनीय प्रश्न-पत्रों का संधारण -**

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध कराई गई गोपनीय प्रश्न-पत्रों का निम्नानुसार प्रारूप में एक पंजी में संधारण करें -

क्र.	तिथि	विषय	प्रश्नपत्र कोड	विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रश्नपत्रों के पैकेट्स की संख्या	विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रश्नपत्रों की संख्या	उपयोग में लाई गई प्रश्नपत्रों की संख्या	शेष प्रश्नपत्रों की संख्या

**08. केन्द्र व्यय**

परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या एवं पूर्व वर्ष की मुख्य/सेमेस्टर परीक्षा में व्यय राशि को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व केन्द्र अग्रिम के प्रथम किश्त की राशि स्वीकृत कर संबंधित परीक्षा केन्द्र के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर दी जायेगी। केन्द्र अग्रिम की शेष राशि स्वीकृत करने हेतु संबंधित परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय को प्रस्ताव भेजेंगे। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट करेंगे कि आपके परीक्षा केन्द्र में मुख्य परीक्षा-2018 के संचालन में कुल व्यय कितना आयेगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर विश्वविद्यालय में केन्द्र अग्रिम का व्यय लेखा अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। संबंधित परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा व्यय से संबंधित सभी देयकों/प्रमाणकों को सत्यापित/प्रमाणित कर एवं संलग्न कर अंकेक्षण हेतु विधिवत बिलासपुर विश्वविद्यालय को भेजने होंगे।

विश्वविद्यालयीन मुख्य परीक्षा-2018 केन्द्र अग्रिम हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव भेजा जावे-

क्र.	व्यय का विवरण	संभावित व्यय राशि
1	सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या (सभी पालियों में)	
2	परीक्षा कार्य में संलग्न तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का पारिश्रमिक (रु. 4.00 प्रति परीक्षार्थी की दर से)	
3	परीक्षा कार्य में संलग्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पारिश्रमिक (रु. 3.00 प्रति परीक्षार्थी की दर से)	
4	प्रायोगिक कार्य में कर्मचारियों का पारिश्रमिक (रु. 4.00 प्रति परीक्षार्थी की दर से न्यूनतम रु. 50/-)	
5	परीक्षा तिथियार क्रमशः प्रथम/तृतीय पाली में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर क्रमशः वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष/ सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक के पारिश्रमिक पर होने वाले व्यय राशि	
6	परीक्षा कार्य के लिए देय व्यय (रुपये 6.00 प्रति परीक्षार्थी की दर से न्यूनतम रूपये 1500)	
7	प्रायोगिक परीक्षा की सामग्रियों में व्यय रु. 2.00 प्रति परीक्षार्थी (स्नातक कक्षाओं हेतु) एवं रु. 4.00 प्रति परीक्षार्थी (स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु)	
8	यात्रा व्यय (आवश्यकतानुसार)	
	कुल योग	

टीप:-

- परीक्षा केन्द्र में प्रत्येक पाली में परीक्षार्थियों की संख्या 500 तक 01 वाटरमेन एक दिवस के लिए होगी एवं उन्हें पारिश्रमिक जिलाधीश द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित दर पर देय होगा। छात्रों के लिए पेयजल व्यवस्था कक्ष के बाहर होगी।
- किसी भी परिस्थिति में अस्थायी मूत्रालय निर्माण, किराये के फर्नीचर जैसे व्यय विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये केन्द्र अग्रिम से स्वीकार्य नहीं होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के लिए दिये गये केन्द्र अग्रिम से निम्न मदों पर ही व्यय अंकेक्षण एवं समायोजन के लिए स्वीकार करता है।
  - प्रायोगिक परीक्षा हेतु आने वाले बाह्य परीक्षकों का यात्रा देयक बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों का मानदेय एवं निर्धारित दरों पर प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु अन्य व्यय।
  - वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष का पारिश्रमिक रु. ....
  - केन्द्राध्यक्ष का पारिश्रमिक रु. ....
  - सहायक केन्द्राध्यक्ष का पारिश्रमिक रु. ....
  - निरीक्षक/वीक्षक का पारिश्रमिक देयक रु. ....
  - तृतीय वर्ग कर्मचारी का पारिश्रमिक रु. ....
  - चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का पारिश्रमिक रु. ....
  - स्टेशनरी व्यय (रु. 6.00 प्रति परीक्षार्थी की दर से) रु. ....
- पूर्व वर्ष की परीक्षाओं के अग्रिम से क्रय की गई स्थाई सामग्रियों का उपयोग प्रत्येक विश्वविद्यालयीन परीक्षा के लिए किया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से बढ़-चढ़ कर परीक्षा अग्रिम से स्टेशनरी और अन्य असंगत सामग्री का क्रय स्वीकार्य नहीं होगा।
- विश्वविद्यालय के निर्णयानुसार छात्रों से परीक्षा शुल्क के साथ लिए गये अग्रेषण शुल्क का वितरण एवं परीक्षा कार्य में संलग्न तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का पारिश्रमिक निम्नानुसार सत्र 2017-18 की परीक्षा में वितरित होगा-

क्रमांक	वितरण मद	राशि
01	अग्रेषण अधिकारी/प्राचार्य	रु. 6.00
02	रजिस्ट्रार/प्रभारी अधिकारी	रु. 2.00
03	तृतीय वर्ग कर्मचारी	रु. 5.00
04	चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	रु. 2.00
05	आकारिमक व्यय	रु. 12.00
06	अंकसूची वितरण	रु. 3.00
	कुल राशि	30.00 रूपये

### 9. दिव्यांग/असम/नेत्रहीन परीक्षार्थियों को लेखक की सुविधा -

यदि परीक्षार्थी को शारीरिक अक्षमता/विकलांगता अथवा चिकित्सागत शारीरिक कारणों से (सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर) लिखने में असमर्थ हो तो, अध्यादेश-5 की कंडिका (6) के प्रावधानानुसार एवं समय-समय पर प्रसारित अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष की लिखित अनुमति के पश्चात् ही परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा दी जा सकेगी तथा इसकी लिखित सूचना वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय को भी देंगे। नेत्रहीन परीक्षार्थियों को लेखक सुविधा के साथ-साथ एक पाली में निर्धारित परीक्षा अवधि के अतिरिक्त, 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए पृथक बैठक व्यवस्था की जाये। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए बैठक व्यवस्था यथासंभव परीक्षा भवन के भूतल में ही करें, ताकि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने में किसी तरह की परेशानी न हो।

### 10. केन्द्र में परीक्षार्थियों की बैठक एवं अन्य व्यवस्था -

परीक्षा कार्यक्रम तैयार करते समय एवं परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि परीक्षा के दिन एवं पाली में परीक्षार्थियों की संख्या परीक्षा केंद्र की बैठक क्षमता से अधिक न हो। यदि किसी दिन ऐसी स्थिति आती है कि केंद्र में उपलब्ध फर्नीचर की संख्या /बैठक व्यवस्था से अधिक परीक्षार्थी हो रहें हो तो, निकटस्थ शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला से या निकटस्थ शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय से (जो परीक्षा तिथि में किसी अन्य परीक्षा का केंद्र न हो), विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर उपकेंद्र बनाकर परीक्षा सम्पन्न की जा सकेगी। विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना किराये का फर्नीचर, टेन्ट एवं शामियाना न लिया जाये। साथ ही परीक्षा केंद्र में साफ-सफाई के साथ प्रसाधन की समुचित व्यवस्था एवं प्रसाधन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।

### 11. केन्द्र में पुलिस व्यवस्था -

परीक्षा केंद्र सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम संलग्न करते हुए माननीय कुलपति महोदय/कुलसचिव द्वारा जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने हेतु पत्र भेजा गया है, तथापि अपने निकटस्थ आरक्षी केंद्र को परीक्षा तिथि एवं पालीवार परीक्षार्थी संख्या संबंधी जानकारी की प्रति संलग्न करते हुए अपनी ओर से परीक्षार्थी प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व से अनुरोध पत्र भेज दें।

### 12. प्रश्न पत्रों का प्रदाय एवं रख-रखाव -

प्रश्न पत्रों के सील बंद लिफाफे एवं परीक्षा से संबंधित अन्य परीक्षा एवं गोपनीय सामग्रियों को विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से यथासंभव 01 या 02 दिवस पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचाये जायेंगे। प्रश्न पत्रों के सीलबंद लिफाफों/पैकेट्स को यथासंभव आरक्षी केंद्र में रखा जावे। प्रत्येक परीक्षा तिथि में पालीवार परीक्षा प्रारंभ होने के यथा संभव 15 मिनट पूर्व प्रश्नपत्रों के लिफाफों को संबंधित पाली के केंद्राध्यक्ष की उपस्थिति में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् ही खोले जायेंगे। परीक्षा केंद्र के स्ट्रॉंग रूम में (जहां प्रश्नपत्रों के लिफाफे सुरक्षित रखे गये हैं) परीक्षा कार्य में संलग्न केंद्राध्यक्ष के अलावा मोबाईल फोन लेकर किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश न करने दें।

### 13. उड़नदस्ते द्वारा आकस्मिक निरीक्षण -

परीक्षा के दौरान परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा केंद्रों के आकस्मिक निरीक्षण हेतु उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। यह दस्ता बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी परीक्षा केंद्र आकस्मिक निरीक्षण करेगा। उड़नदस्ता दल के सदस्यों को परीक्षा केंद्र में कृपया निम्नानुसार सहयोग प्रदान करें-

1. परीक्षा कक्ष में निरीक्षण करने दें। यदि वे नकल करते हुये किसी परीक्षार्थी को पकड़ते हैं तो, नकल प्रकरण बनाने में समुचित सहयोग करें।

2. उड़नदस्ता दल द्वारा केन्द्र का निरीक्षण करते समय चाही गई परीक्षा संबंधी जानकारी व दस्तावेज अवलाकनार्थ उपलब्ध करावें।
3. लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने संबंधी अभिलेख दिखाकर अभिमत अंकित करा लें।
4. अन्य जानकारियां उड़नदस्ता दल के अपेक्षा के अनुरूप दी जावें।

**14. परीक्षा के दौरान शिकायत/सहायता हेतु -**

परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्रों में त्रुटियों, विषय से संबंधित प्रश्न न पूछे जाने, पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न पूछे जाने आदि के संबंध में पूछताछ के लिए एवं आवश्यक सलाह/मार्ग-दर्शन/दिशा-निर्देश हेतु सीधे परीक्षा नियंत्रक एवं/अथवा सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) से उनके मोबाईल नंबर में संपर्क कर सीधे संवाद कर सकेंगे।

परीक्षा नियंत्रक (डॉ. पी.के. पाण्डेय) 7898370386

सहायक कुलसचिव (सी.एल. टंडन) 9406260442

**15. पर्यवेक्षक की नियुक्ति-**

आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिनके नियंत्रण में संबंधित परीक्षा केंद्र में परीक्षाएं संचालित होंगी।

**16. अनुपस्थित एवं यू.एफ.एम. परीक्षार्थियों की जानकारी ऑनलाईन देना-**

प्रत्येक परीक्षा केंद्र में प्रत्येक पाली में कक्षावार/प्रश्नपत्रवार अनुपस्थित परीक्षार्थियों एवं यू.एफ.एम. परीक्षार्थियों की जानकारी के अनुक्रमांक दर्ज करने हेतु पंजी संधारित करें। प्रत्येक पाली में अनुपस्थित एवं यू.एफ.एम. परीक्षार्थियों परीक्षार्थियों की संख्या एवं अनुक्रमांक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अनिवार्यतः ऑनलाईन दर्ज करें तथा परीक्षा समाप्ति के बाद अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक की सूची (पोर्टल में दर्ज करने के पश्चात् डाउनलोड करें) प्रश्नपत्रवार लिखित उत्तरपुस्तिकाओं के बंडल में अवश्य रखें। परीक्षा केंद्र में परीक्षाएं सम्पन्न होने के बाद कक्षावार विषय/प्रश्नपत्र में अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक की सूची एवं परीक्षार्थियों के उपस्थिति-पत्रक/अभिप्राणक परीक्षा विभाग को भी उपलब्ध कराये। परीक्षा केन्द्रों के लिए इस संबंध में जारी पृथक निर्देश का भी अवलोकन एवं पालन अनिवार्यतः करें। विशेष निर्देश- परीक्षा समाप्ति के पश्चात् तिथिवार, विषयवार, प्रश्नपत्रवार अनुपस्थित परीक्षार्थियों की अनुक्रमांक सहित जानकारी परीक्षा नियंत्रक को अनिवार्य रूप से भेजें।

**17. परीक्षा के दौरान नकल की रोकथाम-**

परीक्षा के दौरान नकल करना अपराध है। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व सूचित करें कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश-पत्र एवं लेखन सामग्री के अतिरिक्त कोई पेपर, मोबाईल फोन, डिजिटल घड़ी, पेजर, माइक्रोफोन आदि साथ लेकर न जायें। उचित होगा कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने के पूर्व पुरुष परीक्षार्थियों की तलाशी पुरुष शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा एवं महिला परीक्षार्थियों की तलाशी महिला शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा ली जाए।

परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के पास किसी तरह का अन्य कागज, वस्त्र एवं शरीर के किसी भी अंग में पेन या पेंसिल से लिखा हुआ पाये जाने, हथियार आदि ले जाने पर नकल प्रकरण बनाया जा सकेगा। परीक्षा भवन में केंद्राध्यक्ष/वीक्षकों के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर अथवा अमद्र/अशोभनीय/अश्लील व्यवहार करने पर वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष द्वारा अनुशंसा किये जाने पर परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा कार्य में बाधा पहुंचाने पर केंद्राध्यक्ष/वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष/उड़नदस्ता दल द्वारा संबंधित के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकता है। यदि परीक्षार्थी नकल प्रकरण बनाते समय निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी भरने में सहयोग नहीं करता है अथवा मना करता है अथवा उत्तर पुस्तिका छोड़कर परीक्षा कक्ष से बाहर निकल जाता है तो केन्द्राध्यक्ष उक्त प्रपत्र में अपनी टीप अनिवार्यतः दर्ज करें एवं केन्द्राध्यक्ष की सील लगाकर हस्ताक्षर अवश्य करें।

नकल प्रकरण बनाते समय परीक्षार्थी से प्राप्त सामग्री उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न की जाए तथा उसे वीक्षक एवं केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर से अवश्य प्रमाणित किया जाए। नकल प्रकरण से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएँ उसी दिन विषय/प्रश्नपत्रवार पृथक लिफाफे में सील बंद की जाये एवं लिफाफे के ऊपर बिन्दु क्रमांक 19 अनुसार विस्तृत विवरण अंकित किया जाये। एवं अतिरिक्त विशेष वाहक के माध्यम से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को सूचित कर प्रेषित किया जाये।

**18. लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को सील बंद रखना-**

परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित विषय कोड के पर्ण/प्रतिपर्ण में दर्ज अनुक्रमांक के क्रमानुसार उत्तरपुस्तिकाओं को जमाकर बंडल तैयार करेंगे। उत्तरपुस्तिकाओं को उपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक से अवश्य मिला लेवें। तत्पश्चात् प्रत्येक प्रश्नपत्र कोड के पृथक-पृथक बंडल बनाये। एक बंडल में एक ही विषय/प्रश्नपत्र कोड के उत्तरपुस्तिकाएं रखें एवं बंडल में अधिकतम 300 उत्तर पुस्तिकाएं ही रखें। यदि इस प्रक्रिया में 20 तक उत्तर पुस्तिकाएं शेष बच रही हो तो, उन उत्तर पुस्तिकाओं को अंतिम बंडल के साथ रखी जाये। इस प्रकार अंतिम बंडल में 320 उत्तर पुस्तिकाएं तक हो सकती है। अधिक उत्तर पुस्तिकाएं शेष होने पर पृथक-पृथक बंडल बनाया जाये। बंडल कपड़े की धैली में रखे तथा सील बंद करें एवं बंडल/लिफाफे पर निम्नानुसार विस्तृत विवरण अंकित करें। परीक्षा केन्द्रों के लिए इस संबंध में जारी पृथक निर्देश का भी अवलोकन एवं पालन अनिवार्यतः करें।

**19. उत्तरपुस्तिकाओं के प्रत्येक बंडल के ऊपर निम्नलिखित विवरण अवश्य अंकित करें:-**

परीक्षा केन्द्र क्रमांक -	.....
परीक्षा कोड एवं नाम -	.....
विषय/प्रश्नपत्र कोड -	.....
विषय/प्रश्नपत्र का नाम -	.....
बंडल में उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या -	.....
परीक्षा संपन्न होने की तिथि -	.....

**20. उत्तरपुस्तिकाओं के बंडल में पर्ण/प्रतिपर्ण रखना (अतिमहत्वपूर्ण) -**

प्रत्येक पाली में सम्पन्न होने वाली परीक्षा के विषय कोड के अनुसार पर्ण/प्रतिपर्ण विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित विषय कोड के पर्ण/प्रतिपर्ण में दर्ज अनुक्रमांक के क्रमानुसार उत्तरपुस्तिकाओं को जमाकर बंडल तैयार करेंगे। यह विशेष ध्यान रखे कि जिस विषय कोड की उत्तरपुस्तिकाएं बंडल में रखी जा रही है केवल उसी कोड के पर्ण/प्रतिपर्ण बंडल में रखा जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक बंडल में बिना अनुक्रमांक वाले पर्ण/प्रतिपर्ण की एक प्रति अनिवार्यतः रखकर ही बंडल सील करें। परीक्षा केन्द्रों के लिए इस संबंध में जारी पृथक निर्देश का भी अवलोकन एवं पालन अनिवार्यतः करें।

**21. उत्तर पुस्तिकाओं के प्रत्येक बंडल के अंदर निम्नलिखित जानकारी अवश्य रखें-**

1. जिन परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं रखी गई है उनके अनुक्रमांक (बढ़ते हुए क्रम में)
2. विषयवार/प्रश्नपत्रवार अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक विश्वविद्यालय पोर्टल में ऑनलाईन दर्ज करें एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक की सूची निर्धारित प्रपत्र में अथवा ऑनलाईन दर्ज किये गये अनुक्रमांक का प्रिंट आउट संलग्न करें।
3. संबंधित प्रश्नपत्र की एक प्रति।


**22. उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय/संग्रहण केन्द्रों में जमा कराने हेतु- गोपनीय विभाग से यथा समय निर्देश प्रसारित किये जायेंगे।**

23. परीक्षा संबंधी सूचना भेजना- केन्द्र में परीक्षाएं सुचारू रूप से सम्पन्न हो रही हैं, इस संबंध में समय-समय पर विश्वविद्यालय को अवगत कराते रहेंगे। यदि किसी प्रकार की असुविधा हो तो यथा समय परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (गोपनीय) को अवगत करायें।

24. परीक्षा कक्ष में 'साइंटिफिक कैल्कुलेटर', मोबाईल फोन एवं इस तरह की अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा कार्य में संलग्न केंद्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के अलावा किसी भी वीक्षक द्वारा परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन/अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ रखना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थियों की जाँच कर ही प्रवेश करने दें एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश न करने दें। यदि परीक्षा कक्ष में वीक्षकों/परीक्षार्थियों के पास मोबाईल फोन/अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखा जाना पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

उपर्युक्तानुसार निर्देश मुख्य परीक्षा-2018 की समयावधि के लिए ही मान्य होगा।

आदेशानुसार,

 27-2-18

परीक्षा नियंत्रक

बिलासपुर विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/0088/परीक्षा-गोपनीय/2018

बिलासपुर, दिनांक 27/02/2018

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव जी के सादर अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।
2. प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष, समस्त परीक्षा केंद्र, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उपरोक्त निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. वित्ताधिकारी, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (परीक्षा), बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

 27-2-18

सहायक कुलसचिव (गोपनीय)

बिलासपुर विश्वविद्यालय  
ASSISTANT REGISTRAR  
Bilaspur (Chhattisgarh)  
Bilaspur (Chhattisgarh)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)  
ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)  
website: www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक / 3507/ परीक्षा-गोपनीय / 2019

दिनांक 02/12/2019

-:: अधिसूचना ::-

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से संबद्ध महाविद्यालयों हेतु निम्नानुसार-

01. प्रथम वर्ष (बी.ए./बी.कॉम./बी.बी.ए./बी.एससी./बी.एससी.होमसाइंस/बी.सी.ए./डी.सी.ए./पीजी.डी.सी.ए./पीजी.डी.आई.बी./पीजी.डी.बी.एम.) नियमित एवं भूतपूर्व/पूरक अंतिम अवसर प्राप्त छात्र-छात्राओं को केवल परीक्षा फॉर्म भरने हेतु।
02. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, में पूर्व से नामांकित (जिनका नामांकन हो चुका है) स्नातक/स्नातकोत्तर/बी.एड. पूर्व एवं अंतिम नियमित/स्वाध्यायी/भूतपूर्व/पूरक अंतिम अवसर प्राप्त छात्रों को केवल परीक्षा फॉर्म भरने हेतु।
03. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, में प्रथम बार सम्मिलित (जिनके नामांकन नहीं हुए हैं) स्नातक/स्नातकोत्तर पूर्व एवं अंतिम छात्रों का नामांकन तथा परीक्षा फॉर्म एक साथ भरे जाने हेतु। विश्वविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जाती है:-

1.	ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि (बिना विलंब शुल्क)	05/12/2019 से 25/12/2019 तक
2.	ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क का आनलाइन भुगतान करने की तिथि (विलंब शुल्क रूपये 200/-)	26/12/2019 से 31/12/2019 तक
3.	परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी (प्रिंट कर) आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित महाविद्यालय में जमा करने की तिथि	05/12/2019 से 31/12/2019 तक
4.	परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी अनिवार्य/आवश्यक दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय द्वारा जिलेवार विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा करने की तिथि	रायगढ़- 02/01/2020 से 03/01/2020 जांजगीर-चाम्पा- 04/01/2020 से 06/01/2020 कोरबा - 07/01/2020 से 08/01/2020 मुंगेली/पेण्ड्रा - 09/01/2020 से 10/01/2020 बिलासपुर 11/01/2020 से 13/01/2020
5.	परीक्षा प्रारंभ होने की संभावित तिथि (विस्तृत विवरण पृथक से जारी किया जायेगा)	01/03/2020 से

उपरोक्त परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 1768/परीक्षा/2018 बिलासपुर दिनांक 31.05.2017 द्वारा निर्धारित परीक्षा एवं अन्य शुल्क देय होगा। उपरोक्त तिथि के बाद भी यदि किसी महाविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने से कोई परीक्षार्थी वंचित होता है और बाद में किसी परीक्षार्थी का परीक्षा आवेदन भरने हेतु आवेदन महाविद्यालय द्वारा अग्रपेक्षित विद्यमान है, तो उस स्थिति में प्रति छात्र रु. 500/- की दर से पेनाल्टी राशि अपने कोष से महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी अनिवार्य/आवश्यक दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा करने की निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने पर प्रति छात्र रु. 500/- की दर से पेनाल्टी राशि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।



टीप-

- (i) महाविद्यालय प्रथमतः सभी कक्षाओं का नियमित/स्वाध्यायी/भूतपूर्व/पूरक का इन्टैक कैपिसिटी अलग-अलग पोर्टल में दिनांक 03.12.2019 से 05.12.2019 तक अनिवार्यतः दर्ज करें।
- (ii) अंतराल (GAP) वाले छात्र-छात्राएं पोर्टल (Registration Exam GAP) से प्राप्त यूजर आई.डी./पासवर्ड से वांछित जानकारी भरकर महाविद्यालय से सत्यापन (Verified) कराने के पश्चात् ही आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
- (iii) दिव्यांग छात्रों को परीक्षा शुल्क में छुट्टी की पात्रता होगी, इस हेतु पोर्टल में दिये गये दिव्यांग (Handicapped) ऑप्शन पर हाँ (Yes) चिह्न कर दिव्यांग संबंधी दस्तावेज अपलोड करे तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से दिव्यांगता की ऑनलाइन पुष्टि/सत्यापन पश्चात् शुल्क शून्य (0) दर्शित होगा, जिसकी सूचना रजिस्टर्ड मोबाईल में प्राप्त होगी।

आदेशानुसार

*Mali* 2-12-19

परीक्षा नियंत्रक

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 02/12/2019

पृ क्रमांक / 2508 परीक्षा-गोपनीय/2019  
प्रतिलिपि-

1. माननीय कुलपति/कुलसचिव महोदय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनाएं प्रेषित।
2. विलापिकारी/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/वित्त/अकादमी/भंडार) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनाएं।
3. प्राचार्य समस्त सब्द महाविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनाएं प्रेषित। कृपया महाविद्यालय के सूचना पटल पर छात्र/छात्राओं के अवलोकन हेतु धरम जयदे एव छात्र/छात्राओं को उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन परीक्षा/नामांकन आवेदन करने हेतु सूचित करें।
4. अनुभाग अधिकारी/कक्षा प्रभारी (परीक्षा/अकादमी/भंडार) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर को सूचनाएं एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सापादक, दैनिक समाचार पत्र को ट्रांस अनुरोध के साथ सूचनाएं वि. छात्रहित में इसी विज्ञापि के रूप में को अपने समाचार पत्र में नि:शुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।


*h* 02/12/19  
अधीक्षक परीक्षा

सचार्थी महोदय  
शा. पा. महाविद्यालय  
मल्हरी बिला बिलासपुर (छ.ग.)

वष - लेखक प्रदान करने हेतु।

महोदय,  
अनम निवेदन है कि मैं आपके संस्था में  
BA-II (निजी) का छात्र हूँ मैं एक दृष्टिनाथित  
विकलांग की ओर से आता हूँ इस कारण  
मुझे परीक्षा में अर्हपोगी की आवश्यकता होती है  
अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि  
मुझे अर्हपोगी (लेखक) प्रदान करने की महान कृपा  
करें


धन्यवाद





सार्थी

दिनांक  
5/03/2020

अनुमति हेतु

  
केन्द्राध्यक्ष  
शास. पाठालेखन महाविद्यालय  
मल्हरी, बिला - बिलासपुर (छ.ग.)

Submitted   
5/5/2020

नाम - कुलंद सिंह राय  
रोल नं. - 618091 BA-II  
(निजी)  
अर्हपोगी का नाम -   
कुमार राय  
RKRy

3. निःशक्तता का पुनर्मूल्यांकन  
(एक) आवश्यक नहीं है,

या

(दो) 10/15 वर्ष Ten year

यह प्रमाण-पत्र, दिनांक 27/02/2028 मास के पश्चात् अनुशांसा की जाती है और इसलिये तक विधिमान्य रहेगा।

(तारीख) (मास) (वर्ष)

/ अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों भुजाएं/पैर

रु अर्थात् एक आंख/दोनों आंखें

ख अर्थात् बायां/दाहिना/दोनों कान

4. आवेदक के निवास के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-  
दस्तावेज की प्रकृति जारी होने की तारीख

Address Card photo copy

प्रमाण-पत्र जारी करने वाले  
M.B.B.S की प्रमाण-पत्र  
Eye Specialist Regd  
Distt. Hospital, Bilaspur

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)  
(नाम और मोहर)

प्रति हस्ताक्षर (चिकित्सा प्राधिकारी, जो सरकारी सेवक,  
नहीं है, के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की दशा में,  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/  
सरकारी अस्पताल के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर और मोहर)

(उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके  
पक्ष में निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी किया गया)

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण-पत्र, चिकित्सा प्राधिकारी, जो सरकारी सेवा में नहीं है, के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह विधिमान्य तमी होगा  
जब इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया है।  
टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.में 900 (ई.) तारीख 31 दिसम्बर, 1996 द्वारा प्रकाशित किया गया था।



**अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)**  
**ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)**

www.bilaspuruniversity.ac.in

**MAIN/SEMESTER EXAMINATION - MAR.-APR. - 2020 | मुख्य/सेमेस्टर परीक्षा - MAR.-APR. - 2020**  
**ADMIT CARD / प्रवेश पत्र**

Candidate's Name	<b>BULAND SINGH RAI</b>			
Father's/Husband's Name	<b>RAMKHILAWAN</b>			
Mother's Name	<b>BHANMATI</b>			
USER ID	ENROLLMENT NO.	ROLL NO	STATUS	GENDER
<b>BUG180119794</b>	<b>BUSP/14/223/060</b>	<b>618091</b>	<b>Private/Non Colleague</b>	<b>MALE</b>
EXAM CODE & Name	<b>(002) B.A. PART-II (TWO)</b>			
Name of College	<b>(110) GOVT. PATALESHWAR COLLEGE, MASTURI, DIST.-BILASPUR (C.G.)</b>			
Examination Centre	<b>(110) GOVT. PATALESHWAR COLLEGE, MASTURI, DIST.-BILASPUR (C.G.)</b>			



**TIME TABLE / समय सारणी**

SUBJECT CODE AND NAME	PAPER	DATE	DAY	TIME
01 - FC -HINDI LANGUAGE	1	05 Mar 2020	Thursday	11:00 AM TO 02:00 PM
02 - FC :ENGLISH LANGUAGE	1	14 Mar 2020	Saturday	11:00 AM TO 02:00 PM
06 - POLITICAL SCIENCE	1	25 Mar 2020	Wednesday	11:00 AM TO 02:00 PM
06 - POLITICAL SCIENCE	2	28 Mar 2020	Saturday	11:00 AM TO 02:00 PM
03 - ENVIRONMENTAL STUDIES & HUMAN RIGHTS	1	03 Apr 2020	Friday	11:00 AM TO 02:00 PM
13 - HINDI LITERATURE	1	07 Apr 2020	Tuesday	11:00 AM TO 02:00 PM
13 - HINDI LITERATURE	2	13 Apr 2020	Monday	11:00 AM TO 02:00 PM
14 - SOCIOLOGY	1	17 Apr 2020	Friday	11:00 AM TO 02:00 PM
14 - SOCIOLOGY	2	21 Apr 2020	Tuesday	11:00 AM TO 02:00 PM

**परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश**

- ई-प्रवेश पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लेवे, प्रवेश पत्र में अंकित समस्त जानकारी परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करते समय दर्ज की गयी जानकारी के अनुसार है, यदि प्रवेश पत्र में किसी भी तरह की विमर्शिता है, तो तत्काल संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष से अपना आवेदन अशुद्धित करवाकर परीक्षा विभाग में उपस्थित होकर तुरंत सुधार कर लेवे।
- यदि प्रवेश पत्र तभी मान्य होगा, जब संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित कराया गया हो, एव इसमें महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र की सील/घोहर लगी हो। परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो पूर्व संबंधित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र में स्वयं उपस्थित होकर प्रमाणित करा लेवे, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- यदि प्रवेश पत्र प्राथमिक तौर पर जारी किया गया है, विश्वविद्यालय अध्यादेश 5 एवं 6 के प्रावधानानुसार और विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों, संबंधित परीक्षा के फाउण्डेशननुसार परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी समय-समयानुसार अर्हताओं को पूर्ण करने पर ही आपको परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा, किसी भी समय यदि परीक्षार्थी को अनर्ह/अपत्र पाया जाता है, तो परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा अथवा परीक्षा परिणाम रोक दिया जायेगा अथवा परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
- परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में अंकित अनुक्रमिक (ROLL NO.) के अनुसार निर्धारित परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन मान्य नहीं होगा, यदि परीक्षार्थी अन्य परीक्षा केन्द्र में विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना सम्मिलित होता है तो उसका परीक्षा परिणाम रोक दिया जायेगा अथवा जारी नहीं किया जायेगा।
- परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में अंकित/उल्लिखित विषयों/प्रश्नपत्रों में निर्धारित परीक्षा तिथि और समय में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना विषय/प्रश्नपत्र में परिवर्तन मान्य नहीं होगा, यदि परीक्षार्थी किसी अन्य विषय/प्रश्नपत्र में विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना सम्मिलित होता है तो परीक्षा परिणाम रोक दिया जायेगा अथवा जारी नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल घड़ी, मोबाइल फोन, आईटी गैजेट्स अथवा कोई अन्य संचार उपकरण जैसे-ब्लूटूथ डिवाइस आदि लेकर जाना मना है, प्रतिबंधित सामग्री वापस आने पर अनुचित सामग्री को वापस करने पर/अनुशासनहीनता करने पर विश्वविद्यालय परीक्षा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई/कार्रवाई की जायेगी।
- परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट के पश्चात् विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् 1 घण्टे तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्रतिदिन साध लाने, प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा भवन/कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।


Sign of Principal/Superintendent

Seal of College/Examination Centre

Print On 01-03-2020 at 01:00 PM

Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya  
 Bilaspur

## Ramps Easy Access to Class Room



# Disable Friendly Wash



